रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 203] | नई दिल्ली, मंगलवार, मई 17, 2016/वैशाख 27, 1938 |
| No. 203] | NEW DELHI TUESDAY, MAY 17, 2016/VAISAKHA 27, 1938 |


**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण**

**अधिसूचना**

हैदराबाद, 13 मई, 2016

## भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2016

**फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/15/127/2016.**—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 14 और 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**

   (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा-पुनर्बीमा) विनियम, 2016 के नाम से जाने जाएँगे ।

   (2) ये विनियम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा – पुनर्बीमा) विनियम, 2013 को प्रतिस्थापित करते हैं।

   (3) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएँ**

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

**क)** "अधिनियम" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अभिप्रेत है;

**ख)** "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

**ग)** अध्यर्पक (सीडेण्ट) (i) एक बीमाकर्ता है जो बीमाकृत व्यक्ति को एक मूल, प्राथमिक पॉलिसी का जोखिम-अंकन और निर्गम करता है तथा एक पुनर्बीमाकर्ता को संविदात्मक रूप से जोखिम के एक भाग का अंतरण (अध्यर्पण) करता है अथवा (ii) एक पुनर्बीमाकर्ता है जो वापसीकर्ता (रेट्रोसेशनेयर) को संविदागत जोखिम के भाग का अध्यर्पण करता है;

**घ)** `अध्यर्पण' (सेशन) से बीमाकर्ता द्वारा एक पुनर्बीमाकर्ता को हस्तांतरित बीमा का भाग अभिप्रेत है जिसने मूल बीमाकृत व्यक्ति को पॉलिसी जारी की हो अथवा पुनर्बीमाकर्ता द्वारा वापसीकर्ता को अध्यर्पित संविदागत जोखिम का भाग जारी किया हो;

**ङ)** `कवर नोट' संविदा की शर्तों का विवरण देते हुए पुनर्बीमाकर्ता द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत पुनर्बीमा दलाल द्वारा जारी किया गया लिखित दस्तावेज है;

**च)** `सीमापार पुनर्बीमाकर्ता' से वह बीमाकर्ता / पुनर्बीमाकर्ता अभिप्रेत है जो एक बीमा कंपनी अथवा एक पुनर्बीमाकर्ता कंपनी अथवा विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा के रूप में भारत में पंजीकृत नहीं है, परंतु भारतीय बीमाकर्ताओं / भारतीय पुनर्बीमाकर्ता, विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखाओं के साथ पुनर्बीमा व्यवसाय करता है;

**छ)** `ऐच्छिक (फैकल्टेटिव) पुनर्बीमा' से एक एकल पॉलिसी / जोखिम के भाग का पुनर्बीमा अभिप्रेत है जिसमें अध्यर्पण की समझौता-वार्ता अलग से होती है तथा पुनर्बीमाकर्ता और अध्यर्पक के पास प्रत्येक अलग प्रस्तुति को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प होता है;

**ज)** `वित्तीय वर्ष' इन विनियमों के प्रयोजन के लिए 1 अप्रैल से प्रारंभ करते हुए 31 मार्च तक की अवधि होगी;

**झ)** `फ्रंटिंग' से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा प्रत्यक्ष बीमाकर्ता पुनर्बीमाकर्ता को बीमे के अधिकांश का अथवा पुर्णतः अध्यर्पण करता है;

**ञ)** `विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा' से विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा अभिप्रेत है जिसको समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण(लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015 अथवा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण-(लॉयड्स इंडिया) विनियम, 2016 के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो;

**ट)** इन विनियमों के प्रयोजन के लिए `भारतीय बीमाकर्ता' से वह भारतीय बीमा कंपनी अभिप्रेत है जिसे साधारण बीमा व्यवसाय अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने के लिए समय-समय पर अधिसूचित आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 के अधीन प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो;

**ठ)** इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, `बीमा खंड' से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं

i) अग्नि;

ii) मरीन;

iii) स्वास्थ्य (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा सहित);

iv) मोटर;

v) विविध;

vi) कोई अन्य खंड (विविध खंड के अंतर्गत) जो व्यवसाय के विविध खंड के सकल अंकित प्रीमियम के 10 प्रतिशत से अधिक अंशदान करता हो;

vii) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में कोई अन्य खंड;

**ड)** `समूह' (पूल) से बीमा अथवा पुनर्बीमा का कोई संयुक्त जोखिम-अंकन परिचालन अभिप्रेत है जिसमें सहभागी बीमाकर्ता अथवा पुनर्बीमाकर्ता समस्त अंकित व्यवसाय में एक पूर्वनिर्धारित और नियत अंश ग्रहण करते हैं;

**ढ)** `वापसी' (रेट्रोसेशन) से ऐसा लेनदेन अभिप्रेत है जिसके द्वारा पुनर्बीमाकर्ता किसी अन्य बीमाकर्ता अथवा पुनर्बीमाकर्ता को अपने द्वारा पूर्व में ग्रहण किये हुए पुनर्बीमे का संपूर्ण अथवा आंशिक रूप में अध्यर्पण करता है;

**ण)** `प्रतिधारण' से जोखिम का वह अंश अभिप्रेत है जो बीमाकर्ता / पुनर्बीमाकर्ता अपनी जिम्मेदारी पर ग्रहण करता है;

**त)** `पुनर्बीमा संविदा' सभी पक्षकारों पर कानूनी तौर पर बाध्यकारी दस्तावेज है जो पुनर्बीमा संविदा की सभी शर्तों और अन्य प्रावधानों का एक संपूर्ण, सही और निश्चित अभिलेख उपलब्ध कराता है;

**थ)** `समझौता' (ट्रीटी) से अभ्यर्पक और पुनर्बीमाकर्ता के बीच सामान्यतः एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिए पुनर्बीमा व्यवस्था अभिप्रेत है जो व्यवसाय के परिभाषित वर्ग अथवा वर्गों के पुनर्बीमा के लिए लागू तकनीकी विवरण और वित्तीय शर्तें निर्धारित करती है;

**द)** इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अथवा साधारण बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 57) अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों अथवा नियमों में, जैसी स्थिति हो, क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

**3. पुनर्बीमा व्यवस्थाएँ : उद्देश्य और प्रक्रियाएँ**

**(1) उद्देश्य**

प्रत्येक भारतीय बींमाकर्ता / भारतीय पुनर्बीमाकर्ता / विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा के पुनर्बीमा कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगाः

**(क)** देश के अंदर प्रतिधारण को उच्चतम सीमा तक बढ़ाना;

**(ख)** पर्याप्त क्षमता को विकसित करना;

**(ग)** एक उचित लागत पर पॉलिसीधारक / बीमाकर्ता के हितों के संरक्षण के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम संभव पुनर्बीमा सुरक्षा / बीमा-रक्षा सुनिश्चित करना;

**(घ)** व्यवसाय के संचालन को सरल बनाना।

**(2) प्रतिधारण नीति**

क) प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ता / भारतीय पुनर्बीमाकर्ता / विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा द्वारा अपनी वित्तीय क्षमता, जोखिमों की गुणवत्ता और व्यवसाय की मात्रा के अनुरूप अधिकतम संभव प्रतिधारण अनुरक्षित किया जाएगा।

ख) प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ता / भारतीय पुनर्बीमाकर्ता / विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा द्वारा प्रत्येक बीमा खंड के लिए एक उपयुक्त प्रतिधारण नीति बनाई जाएगी। यदि बीमा खंड के अंतर्गत एक से अधिक उत्पाद हों, तो प्रत्येक उत्पाद के लिए प्रतिधारण नीति अलग से परिभाषित की जाएगी।

ग) प्राधिकरण किसी भारतीय बीमाकर्ता / भारतीय पुनर्बीमाकर्ता / विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह अपनी प्रतिधारण नीति को उचित सिद्ध करे तथा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे गये रूप में निर्देश दे सकता है कि भारतीय बीमाकर्ता /भारतीय पुनर्बीमाकर्ता / विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा केवल सीमापार पुनर्बीमाकर्ता के लिए फ्रंटिंग न करे।

**(3) अनिवार्य अध्यर्पणः**

प्रत्येक बीमाकर्ता भारत में अंकित बीमे के विभिन्न वर्गों के लिए प्रत्येक पॉलिसी पर बीमित राशि के ऐसे प्रतिशत का अध्यर्पण भारतीय पुनर्बीमाकर्ता/ओं को करेगा जैसा कि बीमा अधिनियम, 1938 के भाग IVए के उपबंधों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

**(4) पुनर्बीमा कार्यक्रम**

क) प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ता / भारतीय पुनर्बीमाकर्ता / विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा का पुनर्बीमा कार्यक्रम प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत से प्रारंभ किया जाएगा।

ख) प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ता / भारतीय पुनर्बीमाकर्ता / विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा द्वारा आगामी वर्ष के लिए प्रतिधारण नीति के साथ अपने निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुनर्बीमा कार्यक्रम प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 45 दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

ग) यदि प्राधिकरण के पास दाखिल करने के बाद पुनर्बीमा कार्यक्रम में कोई संशोधन किया जाता है, तो भारतीय बीमाकर्ता / भारतीय पुनर्बीमाकर्ता / विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा द्वारा प्राधिकरण के पास निदेशक बोर्ड के अनुमोदन सहित अंतिम पुनर्बीमा कार्यक्रम वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 30 दिन के अंदर दाखिल किया जाएगा।

घ) भारतीय बीमाकर्ता / भारतीय पुनर्बीमाकर्ता / विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा के अंतिम पुनर्बीमा कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल होंगे, परंतु केवल इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे

i) प्रत्येक बीमा खंड के प्रत्येक उत्पाद के लिए प्रतिधारण सीमाओं के निर्धारण हेतु सुविचारित मानदंड।

ii) पिछले वर्ष में तदनुरूपी प्रतिधारण सीमाओं के साथ प्रत्येक बीमा खंड के प्रत्येक उत्पाद के संबंध मैं प्रस्तावित प्रतिधारण सीमाएँ।

iii) पिछले तीन वर्षों के लिए प्रत्येक बीमा खंड के संबंध में निवल प्रतिधारण अनुपात के स्तर।

iv) पिछले वित्तीय वर्ष के लिए बीमा खंड वार, उत्पाद वार वास्तविक प्रीमियम आय तथा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पूर्वानुमानित प्रीमियम आय।

v) प्रत्येक बीमा खंड के लिए आनुपातिक व्यवस्थाओं (समझौते की क्षमता, प्रतिधारण सीमाओं, अनुमानित प्रीमियम, पुनर्बीमा कमीशन, घटना संबंधी सीमाओं आदि सहित) तथा गैर-आनुपातिक व्यवस्थाओं (ईजीएनपीआई, बीमा-रक्षा की सीमाओं, कटौती-योग्य राशि, एक्सएल प्रीमियम, पुनःस्थापन प्रावधानों आदि सहित) के विवरण के साथ पुनर्बीमा कार्यक्रम की संरचना।

vi) सकल अंकित प्रीमियम, आनुपातिक व्यवस्थाओं पर अभ्यर्पित प्रीमियम और गैर-आनुपातिक व्यवस्थाओं पर अभ्यर्पित प्रीमियम का ब्योरा देते हुए पुनर्बीमा लागत (मात्रा एवं सकल अंकित प्रीमियम की तुलना में प्रतिशत के तौर पर) का विवरण। इस विवरण में आगामी वर्ष के लिए पूर्वानुमानित लागतों और पिछले दो वर्षों के लिए वास्तविक लागतों को शामिल किया जाएगा।

**(5)** भारतीय बीमाकर्ता / भारतीय पुनर्बीमाकर्ता / विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखाएँ विभिन्न यथार्थपरक आपदा परिदृश्यों का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित करेंगी कि आपाती संचयनों के संबंध में पुनर्बीमा व्यवस्थाएँ पर्याप्त हैं। आपाती प्रतिरूपण रिपोर्ट और वह आधार जिस पर आपाती संरक्षण की मात्रा की खरीद आगामी वर्ष के लिए की गई है, का विवरण पुनर्बीमा कार्यक्रम में दिया जाना चाहिए और इसे निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। अंतिम पुनर्बीमा कार्यक्रम के साथ उक्त रिपोर्ट का सारांश प्राधिकरण के पास दाखिल किया जाना चाहिए।

**(6)** प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ता / भारतीय पुनर्बीमाकर्ता / विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा द्वारा वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 30 दिन के अंदर प्राधिकरण के पास सभी पुनर्बीमाकर्ताओं की सूची, उनके रेटिंग, तथा आनुपातिक और गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा व्यवस्था में उनके अंशों के साथ उस वर्ष के संबंध में प्रत्येक पुनर्बीमा समझौता संविदा की वाक्यरचना एवं हानि आधिक्य के कवर नोट की एक प्रति दाखिल की जाएगी।

**(7)** प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ता/ भारतीय पुनर्बीमाकर्ता / विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा कोई भी नई पुनर्बीमा व्यवस्था उसके पूर्ण विवरण, प्रलेखीकरण, ऐसी व्यवस्था के लिए कारण देते हुए निदेशक बोर्ड के अनुमोदन के साथ, बोर्ड के अनुमोदन से 15 दिन के अंदर प्राधिकरण के पास दाखिल करेगी। भारतीय बीमाकर्ता / भारतीय पुनर्बीमाकर्ता / विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा द्वारा आगे यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी पुनर्बीमा व्यवस्था का नवीकरण वित्तीय वर्ष के साथ मेल खाएगा।

**(8)** प्राधिकरण, यदि आवश्यक हो तो पुनर्बीमा कार्यक्रम के संबंध में अतिरिक्त सूचना अथवा स्पष्टीकरण माँग सकता है। प्राधिकरण, यदि आवश्यक हो तो अपने पास दाखिल किये गये पुनर्बीमा कार्यक्रम में परिवर्तन करने के लिए भारतीय बीमाकर्ता / भारतीय पुनर्बीमाकर्ता /विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा को निदेश भी दे सकता है तथा भारतीय बीमाकर्ता / भारतीय पुनर्बीमाकर्ता / विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा द्वारा अपने पुनर्बीमा कार्यक्रम में ऐसे परिवर्तन तत्काल सम्मिलित किये जाएँगे और संशोधित कार्यक्रम प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

**(9) सीमापार पुनर्बीमाकर्ताः**

i) **पात्रता मानदंडः** प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ता / भारतीय पुनर्बीमाकर्ता / विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा द्वारा भारत के बाहर अपना पुनर्बीमा व्यवसाय केवल उन्हीं सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं के पास रखा जाएगा जो निम्नलिखित पात्रता मानदंडों के आधार पर पात्र हैं :-

क) सीमापार पुनर्बीमाकर्ता अपने स्वदेश में एक वैध संस्था है और अपने स्वदेश के विनियमनकर्ताओं / पर्यवेक्षकों द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित है।

ख) सीमापार पुनर्बीमाकर्ता की वित्तीय दृढ़ता, प्रबंधन की गुणवत्ता और तकनीकी आरक्षण कार्यपद्धतियों की निगरानी स्वदेश में उसके पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए।

ग) सीमापार पुनर्बीमाकर्ता के पास तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी का कम से कम बीबीबी का क्रेडिट रेटिंग (स्टैंडर्ड एण्ड पूअर का) अथवा उसका समकक्ष रेटिंग हो।

घ) सीमापार पुनर्बीमाकर्ता को अपने अधिवास के देश के स्वदेशी विनियमनकर्ता द्वारा पंजीकृत और / या प्रमाणित होना चाहिए, जिसके साथ भारत सरकार ने दोहरे कराधान परिवर्जन करार पर हस्ताक्षर किये हों।

ङ) सीमापार पुनर्बीमाकर्ता के पास निरंतर पिछले तीन वर्षों के लिए स्वदेशी विनियमनकर्ता द्वारा निर्धारित सीमा से अन्यून ऋण शोधन क्षमता / पूँजी पर्याप्तता होनी चाहिए।

च) सीमापार पुनर्बीमाकर्ता के लिए आवश्यक है कि उसका पिछला दावा कार्यनिष्पादन संतोषजनक पाया गया हो।

छ) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कोई भी अन्य अपेक्षाएँ।

ii) ऊपर बताये गये पात्रता मानदंडों को पूरा न करने वाले सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं के पास पुनर्बीमा स्थानन के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत भारतीय बीमाकर्ता / भारतीय पुनर्बीमाकर्ता / विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा द्वारा, निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा न करने वाले सीमापार पुनर्बीमाकर्ता के पास पुनर्बीमा व्यवसाय रखने का प्रस्ताव वे क्यो कर रहे हैं, इसके लिए पर्याप्त कारण और औचित्य बताते हुए प्राधिकरण से अनुमोदन की माँग की जाएगी। इस प्रकार के सभी स्थाननों की सूचना कंपनी के बोर्ड को दी जाएगी।

iii) भारतीय बीमाकर्ता / भारतीय पुनर्बीमाकर्ता / विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा के पुनर्बीमा कार्यक्रमों में सहभागिता करने वाले सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं के संबंध में सूचना दाखिल करने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया समय-समय पर इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित की जाएगी।

**(10)** आवश्यकता, और/ या जोखिम/ उत्पाद के एक वर्ग के लिए भारतीय बाजार की प्रवृत्ति के आधार पर भारतीय पुनर्बीमाकर्ता और/ या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा द्वारा उद्देश्य, आधार, सीमाओं और शर्तों से संबंधित विषयों पर, जो सभी हितधारकों के लिए उचित हों, सभी भारतीय बीमाकर्ताओं और/ या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखाओं के साथ परामर्श करने के बाद देशी समूह (पूल) संगठित किये जाएँगे। इस प्रकार की गई व्यवस्थाएँ अनुमोदन के लिए ऐसे समूह बनाने के तीन महीने के अंदर प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएँगी। प्राधिकरण, जहाँ भी आवश्यक हो, वहाँ भारतीय पुनर्बीमाकर्ता को भी सूचित करेगा कि वह विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखाओं के सहयोग से (यदि अपेक्षित हो) देशी समूह संगठित करे। समूह की सभी पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के लिए ये विनियम समान रूप से लागू होंगे। समूह प्रशासक विवरणियाँ, पुनर्बीमा व्यवस्था का ब्योरा, समूह के कार्यनिष्पादन संबंधी विवरण समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके से और आवधिकता के अनुसार प्रस्तुत करेगा।

**(11) अध्यर्पण सीमाएँ :**

क) देशी पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के अतिरिक्त अधिशेष विनियम 3(9) का अनुपालन करते हुए किसी भी सीमापार पुनर्बीमाकर्ता के पास रखा जा सकता है।

ख) ऐसे स्थानन इन विनियमों के विनियम 3 (11)(ङ) के अंतर्गत निर्धारित बीमा खंड-वार सीमाओं के अधीन हैं। ये सीमाएँ उस अधिकतम पुनर्बीमा अध्यर्पण को परिभाषित करती हैं जो किसी बीमा खंड के अंतर्गत किसी विशिष्ट सीमापार पुनर्बीमाकर्ता को किया जा सकता है।

ग) अध्यर्पण की ये सीमाएँ भारतीय बीमाकर्ता/ओं द्वारा सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं को किये गये पुनर्बीमा स्थाननों तथा भारतीय पुनर्बीमाकर्ता/ओं द्वारा सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं को की गई वापसी (रेट्रोसेशन) व्यवस्थाओं पर लागू हैं।

घ) उक्त अध्यर्पण सीमाएँ सभी विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखाओं द्वारा सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ की गई सभी वापसी (रेट्रोसेशन) व्यवस्थाओं पर भी लागू होंगी।

ङ) कुल पुनर्बीमा प्रीमियम की बीमा खंड वार सीमा जो किसी एक सीमापार पुनर्बीमाकर्ता के पास रखी जा सकती है, निम्नानुसार होगीः

| *पुनर्बीमाकर्ताओं का रेटिंग* (स्टैंडर्ड एण्ड पूअर के अनुसार तथा अन्य समकक्ष अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों पर लागू) | *अनुमति-प्राप्त अध्यर्पण की समग्र सीमा (आनुपातिक, गैर-आनुपातिक और ऐच्छिक व्यवस्थाएँ)* |
|---|---|
| स्टैंडर्ड एण्ड पूअर का बीबीबी और बीबीबी+ | 10% |
| स्टैंडर्ड एण्ड पूअर के बीबीबी+ से अधिक तथा ए+ तक और ए+ सहित | 15% |
| स्टैंडर्ड एण्ड पूअर के ए+ से अधिक | 20% |

***स्पष्टीकरणः*** *उपर्युक्त प्रतिशतों का परिकलन भारत में और भारत के बाहर अध्यर्पित कुल पुनर्बीमा प्रीमियम पर बीमा खंड वार किया जाना चाहिए।*

जहाँ किसी बीमा खंड के संबंध में किसी विशिष्ट सीमापार पुनर्बीमाकर्ता को, विनियम 3(11)(ङ) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक किसी अंश का अध्यर्पण करने की आवश्यकता हो, वहाँ भारतीय बीमाकर्ता/ भारतीय पुनर्बीमाकर्ता / विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा ऐसे अध्यर्पण के लिए कारण देते हुए प्राधिकरण के विशिष्ट अनुमोदन की अपेक्षा करेगी।

**(12)** भारतीय बीमाकर्ताओं द्वारा अध्यर्पणों के लिए अधिमान क्रम (ऑर्डर ऑफ़ प्रेफ्रेंस) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015 के अंतर्गत निर्धारित की गई शर्तों के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

**(13)** विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा कार्यालय के परिचालन द्वारा उत्पन्न किये गये अधिशेष का कोई भी प्रत्यावर्तन भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015 अथवा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड्स इंडिया) विनियम, 2016, जो भी लागू हो, द्वारा नियंत्रित होगा।

**(14)** विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा यह सुनिश्चित करेगी कि वे हर समय भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण-(लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015 अथवा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण-(लॉयड्स

इंडिया) विनियम, 2016, जो भी लागू हो, के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम प्रतिधारण सीमाओं का अनुरक्षण करेंगे।

**4. आवक पुनर्बीमा व्यवसाय**

i) आवक पुनर्बीमा व्यवसाय अंकित करने के इच्छुक प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ता के पास आवक पुनर्बीमा व्यवसाय का जोखिम-अंकन करने के लिए उसके निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुपरिभाषित जोखिम-अंकन नीति होगी।

ii) भारतीय बीमाकर्ता प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से कम से कम पैंतालीस दिन पहले व्यवसाय / बीमा खंडों के वर्ग, भौगोलिक विस्तार, जोखिम-अंकन की सीमाएँ और लाभ का लक्ष्य बताते हुए अपनी आवक पुनर्बीमा जोखिम-अंकन नीति प्राधिकरण के पास दाखिल करेगा।

iii) भारतीय बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि आवक पुनर्बीमा व्यवसाय की स्वीकृति के संबंध में निर्णय आवश्यक ज्ञान और अनुभव से युक्त व्यक्तियों द्वारा लिया जाएगा।

iv) भारतीय बीमाकर्ता जब भी उसके निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित रूप में आवक पुनर्बीमा जोखिम-अंकन नीति में कोई परिवर्तन किया जाता है, तब इस प्रकार किये गये कोई परिवर्तन भी प्राधिकरण के पास दाखिल करेगा।

**5. बकाया हानि प्रावधानीकरण**

1) प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ता / भारतीय पुनर्बीमाकर्ता / विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा द्वारा दलालों/ अध्यर्पकों से प्राप्त हानि सूचना पत्रों के आधार पर, तथा जहाँ ऐसे सूचना-पत्र प्राप्त नहीं किये गये हों, वहाँ बीमांकिक अनुमान के आधार पर, स्वीकृत प्रत्येक पुनर्बीमा व्यवस्था हेतु बकाया दावों के लिए प्रावधान किया जाएगा।

2) इसके अतिरिक्त, प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ता / भारतीय पुनर्बीमाकर्ता / विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा द्वारा बीमांकिक अनुमान के आधार पर अपने पुनर्बीमा स्वीकृत संविभाग पर उपगत परंतु सूचित नहीं किये गये (आईबीएनआर) दावों के लिए उपयुक्त प्रावधान किया जाएगा।

**6.** प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ता / भारतीय पुनर्बीमाकर्ता / विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा से यह अपेक्षित होगा कि वह अपने पुनर्बीमा लेनदेनों से संबंधित सूचना और विवरणियाँ प्राधिकरण को ऐसे फार्मों में और ऐसे तरीके से प्रस्तुत करे जैसा कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा अथवा उसके वार्षिक लेखों के साथ प्रस्तुति की अपेक्षा की जाएगी।

**7. स्पष्टीकरण करने के लिए प्राधिकरण की शक्तिः**

इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लागू करने अथवा उसका अर्थनिर्णय करने में उत्पन्न होने वाली किसी भी शंका अथवा कठिनाई को दूर करने के लिए प्राधिकरण का अध्यक्ष आवश्यक समझे गये रूप में उपयुक्त स्पष्टीकरण अथवा दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञा.III/4/असाधारण/83]

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA**

**NOTIFICATION**

Hyderabad, the 13th May, 2016

**Insurance Regulatory and Development Authority of India**
**(General Insurance - Reinsurance) Regulations, 2016**

**F. No. IRDAI/Reg/15/127/2016.—**In exercise of the powers conferred by section 114A of the Insurance Act, 1938, read with sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations-

**1. Short title and commencement**

(1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (General Insurance - Reinsurance) Regulations, 2016.

(2) These Regulations replace the Insurance Regulatory and Development Authority (General Insurance - Reinsurance) Regulations, 2013.

(3) These regulations shall come into force on the date of their notification in the Official Gazette.

**2. Definitions**

In these regulations, unless the context otherwise requires:

a) ‘Act' means the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);

b) 'Authority' means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Act;

c) ‘Cedant’ means (i) an insurer who underwrites and issues an original, primary policy to an insured and contractually transfers (cedes) a portion of the risk to a reinsurer or (ii) a reinsurer who cedes part of contracted risk to a retrocessionaire.;

d) 'Cession' means the part of insurance passed to a reinsurer by the insurer which issued a policy to the original insured or part of contracted risk ceded by a reinsurer to a retrocessionaire;

e) 'Cover note' is a written document issued by the reinsurer or the reinsurance broker authorized by it, detailing the terms and conditions of the contract;

f) ‘Cross Border Reinsurer’ means an insurer/ reinsurer who is not registered in India as an insurance company or reinsurance company or foreign reinsurer branch but, does reinsurance business with Indian Insurers/ Indian reinsurer, foreign Reinsurer branches.

g) 'Facultative Reinsurance ' means reinsurance of a part of a single policy/risk in which cession is negotiated separately and the reinsurer and the cedant have the option of accepting or declining each individual submission;

h) ‘Financial Year’ for the purpose of these regulations shall be the period starting from 1$^{st}$ April to 31$^{st}$ March.

i) ‘Fronting’ means a process by which a direct insurer cedes most of or all of the insurance risk to a reinsurer.

j) ‘Foreign Reinsurer Branch’ means a branch of a Foreign Reinsurer who has been granted certificate of registration by the Authority under the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd’s) Regulations, 2015 or Insurance Regulatory and Development Authority of India (Lloyd’s India) Regulations, 2016, as amended from time to time.

k) ‘Indian Insurer’ for the purpose of these regulations means an Indian Insurance company who has been granted certificate of registration by the Authority under the Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000 notified from time to time to carry out general insurance business or health insurance business.

l) ‘Insurance segments’ for the purpose of these regulations, shall mean the following

i) Fire;

ii) Marine;

iii) Health (including Personal Accident & Travel);

iv) Motor;

v) Miscellaneous;

vi) Any other segment (under miscellaneous segment) which contributes more than 10 percent of the Gross Written Premium of the Miscellaneous segment of business;

vii) Any other segment as may be specified by the Authority from time to time

m) 'Pool' means any joint underwriting operation of insurance or reinsurance in which the participating insurer/s or reinsurer/s assume a predetermined and fixed share in all business written;

n) 'Retrocession' means the transaction whereby a reinsurer cedes to another insurer or reinsurer all or part of the reinsurance it has previously assumed;

o) 'Retention' means the portion of the risk which an insurer/reinsurer assumes for his own account;

p) 'Reinsurance contract' is the legally binding document on all the parties that provides a complete, accurate and definitive record of all the terms and conditions and other provisions of the reinsurance contract;

q) 'Treaty' means a reinsurance arrangement between the cedant and the reinsurer, usually for one year or longer, which stipulates the technical particulars and financial terms applicable to the reinsurance of defined class or classes of business;

r) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) or the General Insurance Business Nationalisation Act, 1972 (57 of 1972) or Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), rules made thereunder shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or rules as the case may be.

**3. Reinsurance Arrangements: Objectives & Procedures**

**(1) Objectives**

The Reinsurance Programme of every Indian Insurer/ Indian Reinsurer/Foreign reinsurer branch shall be guided by the following objectives to:

(a) Maximize retention within the country;

(b) Develop adequate capacity;

(c) Secure the best possible reinsurance protection/ coverage required to protect the interest of the policy holder/insurer at a reasonable cost

(d) Simplify the administration of business.

**(2) Retention policy**

a) Every Indian insurer/Indian reinsurer/foreign reinsurer branch shall maintain the maximum possible retention commensurate with its financial strength, quality of risks and volume of business.

b) Every Indian insurer/Indian reinsurer/ foreign reinsurer branch shall formulate a suitable retention policy for each insurance segment. In case the insurance segment consists of more than one product, retention policy for each product shall be separately defined.

c) The Authority may require an Indian insurer/Indian reinsurer/foreign reinsurer branch to justify its retention policy and may give such directions as considered necessary in order to ensure that the Indian insurer/ Indian reinsurer/foreign reinsurer branch is not merely fronting for a Cross Border Reinsurer.

**(3) Obligatory Cession:**

Every insurer shall cede such percentage of the sum assured on each policy for different classes of insurance written in India to the Indian reinsurer/s as may be specified by the Authority in accordance with the provisions of Part IVA of the Insurance Act, 1938.

**(4) Reinsurance program**

a) The reinsurance programme of every Indian insurer/Indian reinsurer/ foreign reinsurer branch shall commence from the beginning of every financial year.

b) Every Indian insurer/Indian reinsurer/ foreign reinsurer branch shall submit to the Authority, its board approved reinsurance programme along with retention policy for the forthcoming year, 45 days before the commencement of the financial year.

c) If any amendment is made in the Reinsurance program subsequent to it being filed with the Authority, the Indian insurer/ Indian reinsurer/ foreign reinsurer branch, shall file with the Authority, the Final Reinsurance Program, together with the approval of the Board of Directors within 30 days of the commencement of the financial year.

d) The final reinsurance program of the Indian insurer/Indian reinsurer/foreign reinsurer branch shall include but not limited to, the following

i) The parameters considered for fixation of retention limits for every product of each insurance segment

ii) Proposed retention limits on every product of each Insurance Segment along with corresponding retention limits in the previous year.

iii) Levels of Net retention ratio on each Insurance Segments for previous three years.

iv) Insurance Segment wise, product wise actual premium income for the last financial year and the projected premium income for the forthcoming financial year.

v) Structure of Reinsurance program with details of Proportional arrangements for each Insurance Segment( including treaty capacity, retention limits, Estimated premium, Reinsurance commission, Event limits etc) and Non-proportional Arrangements (including EGNPI, Cover limits, Deductible, XL premium, Reinstatement provisions etc)

vi) Statement of Reinsurance cost (in terms of quantum as well as percentage to Gross Written Premium) giving details of Gross Written premium, premium ceded on proportional arrangements and ceded on non-proportional arrangements. The statement shall include projected costs for the forthcoming year and the actual costs for the previous two years.

**(5)** The Indian insurers/Indian reinsurers/foreign reinsurer branches shall ensure that the reinsurance arrangements in respect of catastrophe accumulations are adequate, by using various realistic disaster scenarios. The catastrophe modelling report and the basis on which the quantum of catastrophe protection is purchased for the forthcoming year may be detailed in the Reinsurance program and shall be approved by their Board of Directors. A synopsis of the report, shall be filed with the Authority along-with the final reinsurance programme.

**(6)** Every Indian insurer/Indian reinsurer / Foreign Reinsurer Branch shall within 30 days of the commencement of the financial year, file with the Authority a copy of every reinsurance treaty contract wordings and excess of loss cover note in respect of that year together with the list of all reinsurers, their ratings and their shares in the proportional & non-proportional reinsurance arrangement.

**(7)** Every Indian Insurer/Indian reinsurer/foreign reinsurer branch shall file with the Authority any new reinsurance arrangement, giving full details, documentation, reasons for such an arrangement together with the approval of the Board of Directors within 15 days of approval of the Board. The Indian

insurer/Indian reinsurer/foreign reinsurer branch shall further ensure that the renewal of such a reinsurance arrangement coincides with the financial year.

**(8)** The Authority may, if necessary, call for further information or explanations in respect of the reinsurance programme. The Authority may also, if necessary, direct the Indian insurer/Indian reinsurer/foreign reinsurer branch to carry out changes to the reinsurance programme filed with it and the Indian insurer/Indian reinsurer/foreign reinsurer branch shall incorporate such changes forthwith in their reinsurance programme and submit the revised program to the Authority.

**(9) Cross Border Reinsurers:**

i) **Eligibility Criteria:** Every Indian Insurer/Indian reinsurer/foreign reinsurer branch shall place their reinsurance business outside India with only those cross border reinsurers based on the following eligibility criteria:-

a) The cross border reinsurer is a legal entity in its home country, regulated and supervised by its home regulators/ supervisors.

b) The financial strength, quality of the management and adequacy of technical reserving methodologies of the cross border reinsurer should be monitored by its supervisory authority, in the home country.

c) The cross Border reinsurer having atleast a credit rating of BBB (with Standard & Poor) or equivalent rating of an international rating agency for immediately preceding three years.

d) The Cross Border Reinsurer should be registered and/or certified by the home regulator of the country of domicile, with which the Government of India has signed Double Taxation Avoidance Agreement.

e) The Cross Border Reinsurer having solvency margin/capital adequacy not less than as stipulated by the home regulator for previous three continuous years.

f) The past claims performance of the cross border reinsurer is found to be satisfactory.

g) Any other requirements as stipulated by the Authority from time to time.

ii) Reinsurance placements with Cross Border Reinsurers, not fulfilling the above stated eligibility criteria shall require prior approval of the Authority. Under such circumstances, the Indian insurer/Indian reinsurer/foreign reinsurer branch shall, seek approval from the Authority stating sufficient reasons and justifications as to why they propose to place reinsurance business with a cross border reinsurer which does not fulfill the stated eligibility criteria. All such placements shall be reported to the company's board.

iii) The procedure to be followed for filing information regarding the Cross border reinsurers, participating the reinsurance programs of the Indian Insurer/Indian reinsurer/foreign reinsurer branch shall be governed by the guidelines issued by the Authority, in this regard from time to time

**(10)** Based on necessity, and / or Indian market appetite for a class of risk / product, the Indian Reinsurer/s and/ or Foreign Reinsurer's Branch/ shall organise domestic pools, in consultation with all Indian insurers and / or foreign reinsurer branches on matters relating to objective, basis, limits and terms which are fair to all stakeholders. The arrangements so made shall be submitted to the Authority within three months of the formation of such pools, for approval. The Authority, wherever necessary, shall also advise the Indian reinsurer to organise domestic pools, in collaboration with Foreign Reinsurer's Branches, (if required). These regulations shall equally be applicable for all reinsurance arrangements of the pool. The pool Administrator shall submit the returns, details of Reinsurance arrangement, statements on the performance of the pool, in the manner and periodicity as stipulated by the Authority from time to time.

**(11) Cession limits:**

a) Surplus over and above the domestic reinsurance arrangements can be placed with any of the cross border reinsurers, complying with regulation 3(9).

b) Such placements are subject to the insurance segment-wise limits stipulated under regulation 3 (11)(e) of these regulations. These limits define the maximum reinsurance cession that can be made to any particular Cross border reinsurer under any insurance segment.

c) These cession limits are applicable on reinsurance placements made to Cross Border reinsurers by the Indian insurer/s and retrocession arrangements made by the Indian Reinsurer/s to Cross Border reinsurers

d) The cession limits shall also be applicable on all retrocession arrangements made by foreign reinsurer branches with Cross Border Reinsurers.

e) Insurance segment wise limit of the total reinsurance premium that may be placed with any one cross border reinsurer shall be as follows:

| *Rating of Reinsurers (*as per Standard & Poor and applicable to other equivalent international rating agencies*)* | *Overall Limit of cession allowed (Proportional , Non proportional & Facultative arrangements)* |
|---|---|
| BBB & BBB+ of Standard & Poor | 10% |
| Greater than BBB+ and upto & including A+ of Standard & Poor | 15% |
| Greater than A+ of Standard & Poor | 20% |

*Explanation: The above percentages are to be calculated insurance segment wise, on the total reinsurance premium ceded in India & outside India.*

Where it is necessary in respect of any insurance segment to cede a share exceeding the limits specified under regulation 3(11)(e), to any particular cross border reinsurer, the Indian insurer/Indian reinsurer/foreign reinsurer branch shall seek specific approval of the Authority giving reasons for such cession.

**(12)** Order of Preference for cessions by Indian Insurers, shall be governed by the stipulations made under the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration and operations of Branch offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) Regulations, 2015.

**(13)** Any repatriation of surplus generated by the operation of the branch office of the foreign reinsurer shall be governed by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration and operations of Branch offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) Regulations, 2015 or the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Lloyd's India) Regulations, 2016, whichever is applicable

**(14)** The foreign reinsurer branch shall ensure that they maintain the minimum retention limits stipulated under the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration and operations of Branch offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) Regulations, 2015 or the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Lloyd's India) Regulations, 2016, whichever is applicable, at all times.

**4. Inward Reinsurance Business**

i) Every Indian insurer wanting to write inward reinsurance business shall have a well-defined underwriting policy approved by its Board of Directors for underwriting inward reinsurance business.

ii) The Indian insurer shall file with the Authority, at least forty five days before the commencement of each financial year, its inward reinsurance underwriting policy stating the classes of business/insurance segments, geographical scope, underwriting limits and profit objective.

iii) The Indian insurer shall ensure that decisions on acceptance of inward reinsurance business are made by persons with necessary knowledge and experience.

iv) The Indian insurer shall also file with the Authority any changes to the inward reinsurance underwriting policy as and when a change is made duly approved by its Board of Directors.

**5. Outstanding Loss Provisioning**

1) Every Indian insurer/Indian reinsurer/foreign reinsurer branch shall make outstanding claims provisions for every reinsurance arrangement accepted on the basis of loss information advices received from Brokers/Cedants and where such advices are not received, on an actuarial estimation basis.

2) In addition, every Indian insurer/Indian reinsurer/foreign reinsurer branch shall make an appropriate provision for incurred but not reported (IBNR) claims on its reinsurance accepted portfolio on actuarial estimation basis.

**6.** Every Indian insurer/Indian reinsurer/foreign reinsurer branch shall be required to submit to the Authority information and returns relating to its reinsurance transactions in such forms and manner as the Authority may stipulate from time to time or require together with its annual accounts.

**7. Power of the Authority to issue clarifications:**

In order to remove any doubts or the difficulties that may arise in the application or interpretation of any of the provisions of these Regulations, the Chairperson of the Authority may issue appropriate clarifications or guidelines as deemed necessary.

T. S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT. III/4/Exty./83]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.